पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-सामान्य निर्देश(132) भाग-3/2023-24/ /वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 15 मई, 2023

1-समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक(प्रशिक्षण संस्थान) राज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- आधार में दस्तावेज अपडेट कराने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग(जनशक्ति नियोजन प्रभाग), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-03/7-331/11481/ज0नि0प्र0/2019 टी0सी0-5 दिनांक 01.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ उप महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-RO-LKO-16013/4/2020-RO-LKO-/2012 दिनांक 19.04.2023 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा वर्तमान में ऐसे निवासी जिनके आधार जारी हुये 10 वर्ष का समय हो गया है, उनके आधार अपडेट कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्या 6), दिनांक 09.12.2022 अधिसूचित किया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रदेश के समस्त राज्य अधिकारी/ कर्मचारियों को अपना आधार वैध दस्तावेजों के सापेक्ष अद्यतित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

अत: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 19.04.2023 में की गयी अपेक्षानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत् समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों को अपना आधार वैध दस्तावेजों के सापेक्ष अद्यतित कराये जाने संबंधी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, राज्य कर अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, शासन को नियोजन विभाग(जनशक्ति नियोजन प्रभाग), उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र दिनांक 01.05.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
3- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

File No.SMPD-MPD01/1/2023-MPDROE2

पत्रांक: 03 /7-331/11481/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-5

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

नियोजन विभाग (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) दिनांक: 01 मई, 2023

विषय: आधार में दस्तावेज अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उप महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या: RO-LKO-16013/4/2020- RO-LKO- /2012 दिनांक 19.04.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा वर्तमान में ऐसे निवासी जिनके आधार जारी हुये 10 वर्ष का समय हो गया है, उनके आधार अपडेट कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्या 8), दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 अधिसूचित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा इस परियोजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराकर निवासियों को अपने आधार को अपडेट कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। संदर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रदेश के समस्त राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना आधार वैध दस्तावेजों के सापेक्ष अद्यतित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाय। वैध दस्तावेजों की सूची लिंक https://uidai.gov.in/images/commdoc/26_JAN_2023_Aadhaar_List_of_documents_English.pdf पर उपलब्ध है।

2. आधार अपडेट करने हेतु आधार कार्ड धारक द्वारा अपने आधार को वैध दस्तावेजों के साथ नजदीकी आधार नामांकन/अद्यतन केन्द्र पर जाकर अथवा https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर दिये गये निर्देशों का पालन कर भी अपडेट किया जा सकता है।

अत: आपसे यह अनुरोध है कि कृपया उप महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.04.2023 की अपेक्षानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

Signed by अमित सिंह बंसल
Date: 01-05-2023 18:17:48
Reason: Approved

भारत सरकार
Government of India
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Ministry of Electronics &IT
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू०आई०डी०ए०आई०), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Unique Identification Authority of India(UIDAI), Regional Office,Lucknow

टी0सी0/46-V, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
TC/46-V, 3rd Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226010

AADHAAR

प०सं० RO-LKO-16013/4/2020-RO-LKO- /2212 दिनांक- 19.04.2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उ.प्र. शासन, लखनऊ,

पत्रांक 65 / प्रा०नि०/2023
दिनांक 21/04/2023

विषय- आधार में दस्तावेज अपडेट कराने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा वर्तमान में ऐसे निवासी जिनके आधार जारी हुए 10 वर्ष का समय हो गया है ऐसे निवासियों का आधार अपडेट कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गजट प्रकाशित किया गया है (प्रति संलग्न)। यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा इस परियोजना का व्यापक रुप से प्रचार-प्रसार कराकर निवासियों को अपने आधार को अपडेट कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

2. उक्त के क्रम में आप से अनुरोध है कि अपने स्तर से समस्त राज्य अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपना आधार वैध दस्तावेजो के सापेक्ष अद्यतित करा लें। वैध दस्तावेजों की सूची लिंक- https://uidai.gov.in/images/commdoc/26 JAN 2023 Aadhaar List of documents English.pdf पर उपलब्ध है।

3. निवासी द्वारा अपने आधार को वैध दस्तावेजों के सापेक्ष नजदीकी आधार नामांकन/अद्यतन केन्द्र पर विजिट कर अथवा www.uidai.gov.in वेबसाइट के माध्यम से लिंक- https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाकर दिये गये निर्देशों का पालन कर अपडेट कराया जा सकता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी लिंक- https://uidai.gov.in/en/my-aadhaar/about-your-aadhaar/updating-data-on-aadhaar.html पर उपलब्ध है।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

(प्रशांत कुमार सिंह)
उप महानिदेशक
Email-ddg-rolko@uidai.net.in

20.04.2023
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव
नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

44/VSB/2023
निदेशक, जनशक्ति

21.04.23
(राम कुमार)
निजी सचिव
विशेष सचिव, नियोजन
उत्तर प्रदेश शासन

SRO
21/4/23
निदेशक
जनशक्ति नियोजन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०,
योजना भवन, लखनऊ

RO(A)
21/04/23

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240163
CG-DL-E-10112022-240163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944
No. 555] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

आधार (नामांकन एवं अद्यतन)(दसवां संशोधन) विनियम, 2022

(2022 का संख्या 6)

सं. एचक्यू-16027/1/2022-ईयू-I-एचक्यू (2022 का संख्या 6).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 (2) (क) के साथ पठित धारा 54 की उप-धारा (2) के उप-खंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 2) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

भाग-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 6) कहा जाएगा।

(1) ये विनियम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

भाग-II

2. विनियम 16 का संशोधन – मूल विनियम के विनियम 16 में, "इस अध्याय में विनिर्दिष्ट अद्यतन प्रक्रिया के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अद्यतन प्रक्रिया के अनुसार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. नए विनियम 16क अंतर्वेशन - मूल विनियम के विनियम 16 के बाद, निम्नलिखित नये विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"16क. दस्तावेजों का अद्यतन - आधार नंबर धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष के पूरा होने पर, उपर्युक्त आधार नामांकन एवं अद्यतन विनियम 10 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) को जमा करने के द्वारा, न्यूनतम एक बार, आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को अद्यतित कर सकते हैं, ताकि केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) में सुरक्षित उनकी जानकारी की अनवरत सटीकता इस प्रकार सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि उसे समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।"

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./380/2022-23]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 14 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 का 2) के माध्यम से प्रकाशित किए गए। इन विनियमों को तत्पश्चात् संशोधित कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड 4 में दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 का 1); दिनांक 7 जुलाई, 2017 की सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 का 2); दिनांक 11 जुलाई, 2017 की सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 का 3); दिनांक 31 जुलाई, 2017 की सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 का 5); दिनांक 12 जनवरी, 2018 की सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई(13) (2018 का 1); दिनांक 31 जुलाई, 2018 की सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई(13) (2018 का 2); दिनांक 09 सितंबर, 2019 की सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई(13)खंड-II(2019 का 3); दिनांक 02 जुलाई, 2020 की सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13)/खंड-II (2020 का 03) एवं - एचक्यू-16041/4/2021-ईयू-I-HQ-भाग)I) (2022 का संख्या 2) दिनांक 3 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, The 9th November, 2022

AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (TENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

(No. 6 of 2022)

No. HQ-16027/1/2022-EU-I- HQ (No. 6 of 2022).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of sub-section (2) of Section 54 read with Section 23(2)(a) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016(18 of 2016) the Unique Identification Authority of India, hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No.2 of 2016), namely:-

Part I

PRELIMINARY

1 . **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Tenth Amendment) Regulations, 2022 (No. 6 of 2022).

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of publication of this notification.

Part II

2 . **Amendment of Regulation 16.** – In Regulation 16 of the principal Regulation, for the words "in accordance with update procedure specified in this Chapter", the words "in accordance with update procedure as specified by the Authority from time to time" shall be substituted.

3. **Insertion of new Regulation 16A.** – After Regulation 16 of the principal Regulation, the following new Regulation shall be inserted, namely:-

"**16A. Update of Documents.** – Aadhaar number holders may, on completion of every 10 years from the date of enrolment for Aadhaar, update their supporting documents in Aadhaar, at least once, by submitting Proof of Identity (POI) and Proof of Address (POA) documents as specified under Aadhaar Enrolment and Update Regulation 10 hereinabove, so as to ensure continued accuracy of their information in the Central Identities Data Repository (CIDR), in such manner as may be specified by the Authority from time to time."

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./380/2022-23]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated 14th September, 2016. These regulations were subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notifications No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 1 of 2017) dated 15th February, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 2 of 2017) dated 7th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 3 of 2017) dated 11th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 5 of 2017) dated 31st July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal UIDAI(13) (No.1 of 2018) dated 12th January, 2018; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No. 2 of 2018) dated 31st July, 2018; No. 13012/79/2017/Legal UIDAI(13)/Vol.II (No. 3 of 2019) dated 09th September, 2019; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (13)/Vol.II (No. 3 of 2020) dated 2nd July, 2020 and HQ-16041/4/2021-EU-HQ-Part(I) (No. 2 of 2022) dated 03rd March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.